



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062022-236520
CG-DL-E-11062022-236520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2556]
No. 2556]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISHTHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

का.आ. 2683(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रूम् नो. 201,203 फअस्ट् फ्लौर, अड्विन्स्ट्रेटिभ काम्प्लैक्स, मिनी सैक्रिटैरीअट्, गंदरबल (NH1) के कि.मी 69 से 82जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण,प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH1 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	डैप्टी कमिषनर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 के कि.मी. 69 से 82 तक	जम्मू और कश्मीर	गंदेरबल	गुंड	1	सोनमर्ग
---	---------------	---	-----------------------	---------	------	---	---------

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SMG/ZMORH/LA/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 2683(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 69 to 82 of Room No. 201,203 First Floor, Administrative Complex, Mini Secretariat, Ganderbal (NH1) in the State of JAMMU & KASHMIR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH1 in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	69KM To 82KM	JAMMU & KASHMIR	GANDERBAL	Gund	1 Sonmarg

[F. No. NHIDCL/PMU-SMG/ZMORH/LA/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director